न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स/एलआर/4591/2012/बून्दी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बूंदी

प्रार्थी

बनाम

सत्यनारायण पिता आबू तेली मंगाल

अप्रार्थी

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः.11.10.18

यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जिला कलकटर, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 167/2010 में की गई अनुशंषा दिनांक 5.3.2012 से प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बून्दी ने एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मंगाल के साबिक खसरा नम्बर 70 किस्म नाला सम्वत 2000 से 2005 व उसके पश्चात दर्ज रिकार्ड थी। उक्त भूमि में से भू प्रबन्ध सम्वत 2028 से 47 में नवीन खसरा नम्बर 296 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज कर दी। हाल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 में उक्त आराजी अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार नदी भूमि पर भू प्रबन्ध को खातेदारी अधिकार देने का कोई क्षेत्राधिकार नही है। यह सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 में ऐसी गैर मु0 भूमियों की दिनांक 15.7. 1947 की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया है। अतः रेफरेन्स किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अनुशंषा दिनांक 5.3. 2012 से यह रेफरेन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से यह साबित है कि विवादित

भूमि नाला किस्म की भूमि होकर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी गैर मु0 भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 में ऐसी गैर मु0 भूमियों की दिनांक 15. 7.1947 की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

हमने विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 70 किस्म नाला सम्वत 2000 से 2005 व उसके पश्चात दर्ज रिकार्ड थी। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त भूमि में से भू प्रबन्ध सम्वत 2028 से 47 में नवीन खसरा नम्बर 996 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज कर दी। हाल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 में उक्त आराजी अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है।

राजस्व अभिलेख की उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि की किस्म गैर मु0 नाला रही है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी गैर मु0 अंगोर, तालाब, नदी, नाले, जोहड, बहताली आदि की भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 में ऐसी गैर मु0 भूमियों की दिनांक 15.7.1947 की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में हम यह रेफरेन्स स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मंगाल के आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा का अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में किये गये समस्त इन्द्राज निरस्त किये जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में पुनः गैर मु0 नाला राजकीय भूमि दर्ज की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य